

कार्यालय परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़

“सी-ब्लॉक, तृतीय तल,

इंद्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर

फोन नं. 0771-2582799, 2582088 फैक्स नं. 0771-2583050

E-mail : atc.cg@gov.in

क्रमांक 54/आई.टी./टीसी/2020
प्रति,

अटल नगर रायपुर, दिनांक 02/04/2020

1. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़।
3. समस्त क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी
छत्तीसगढ़।

विषय :- Uninterrupted mineral production, transportation of mineral etc. to sustain mineral production activities during lockdown period due to COVID-19 pandemic.

—00—

विषयांतर्गत भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश पत्र क्रमांक DGMS/General Circular/01 Dhanbad dated 30-03-2020 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, खान सुरक्षा निदेशालय उक्त व्यवस्थाधीन पत्र के माध्यम से COVID-19 के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान खनिज उत्पादन गतिविधियों को बनाये रखने के लिए निर्बाध खनिज उत्पादन तथा खनिज परिवहन की अनुमति बाबत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। इस हेतु समस्त मैदानी प्रवर्तन अमलें (परिवहन/पुलिस) को भी सूचित किया जाए।

कृपया तदनुसार उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(सचिव, परिवहन द्वारा आदेशित)

(टी.आर. पैकरा)

अपर परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक 54-ए/आई.टी./टीसी/2020

अटल नगर रायपुर, दिनांक 02/04/2020

प्रतिलिपि :-

1. Director General of Mines Safety (Officiating) & Chief Inspector of Mines, Dhanbad की ओर संदर्भित पत्र दिनांक 30.03.2020 के परिपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छ0ग0 शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर।
3. सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर।
4. सचिव, छ0ग0 शासन, खनिज विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर।
5. अति. पुलिस महानिदेशक (यातायात), पुलिस मुख्यालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
6. राज्य स्तरीय संयुक्त कंट्रोल रूम, जिला पंचायत परिसर, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

अपर परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़